परिचायक

ई सी : 13:01	अध्यक्ष द्वारा सदन को व्यवस्थितहोने की घोषणा

कार्यवृत्त

13.01.1 बैठक का कोरम पूरा होने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा एक संक्षिप्त धन्यवाद संबोधन के बाद बैठक को व्यवस्थित घोषित किया गया, तथा सचिव कार्यसूची मदों के साथ बैठक आरंभ करने को कहा गया।

ई सी : 13:02	निधन सूचना

कार्यवृत्त

13.02.1 सदन को निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हाल में हुई दुखद मृत्यु की सूचना दी गई:

1. श्री के एम गुरूंग, उप निदेशक, एच आर डी डी, सिक्किम सरकार
2. श्री सुकुमार अजीकोडे, अनुभवी मलयालम लेखक, वक्ता विद्वान एवं गांधीवादी, जिनकी मृत्यु दिनांक 20.04.2012 को हुई ।
3. अनुभवी कलाकार श्री देव आनंद, जिनकी मृत्यु 04.12.2012 को हुई ।
4. श्री पी के राय, भारतीय पत्रकार एवं समाचारपत्र संवाददाता, भारतीय प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिनकी मृत्यु दिनांक 24.03.2012 को हुई थी ।

13.02.2 **उनकी मृत्यु के प्रति संवेदना हेतु सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया ।**

ई सी : 13:03	संस्थापक उपकुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

13.03.1 उपकुलपति ने सदन को सूचित किया कि एक संस्थापक उपकुलपति के रूप में उन्होंने जुलाई 2007 में विश्वविद्यालय की स्थापना से यह कार्याभ्यास बना लिया था कि प्रत्येक बैठक के आरंभ में वे सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा हाल में की गई गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण देते हैं । इसका अभिप्राय सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा इसके दीर्घकालिक विजन को पूरा करने के प्रति की गई प्रगति से वअवगत करवाते हैं ।

अपने 25 मिनट के पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण में संस्थापक उपकुलपति ने मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला, छात्रों के नामांकन से उन्हें डिग्री अवार्ड किए जाने तक, पाठचर्या पुनरीक्षण से मूल्यांकन तक शिक्षण

एवं गैर शिक्षण कार्मिकों की नियुक्ति, विंटर सोजर्न सदृश्य नवीकरणीय कार्यक्रमों में विशेष व्याख्यान, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रबंधन एवं नेट स्लेट परीक्षा आदि पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के समक्ष वर्तमान में तीन प्रमुख कार्य हैं, जो कि -

(क) सांविधियों की मांग के अनुसार विनियमावली एवं अध्यादेशों को लागू करना

(ख) उद्देश्य एवं विजन के अनुसार समरूप शैक्षणिक अभिवृद्धि हेतु नीतियों की रूपरेखा तैयार करना

(ग) एवं संगत मानकों के भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं विकास करना

13.03.2उन्होंने उल्लेख किया कि जब कि उक्त दो कार्य सही परिप्रेक्ष में एवं विचारनीय सफलता के साथ किया जा रहा है, तृतीय कार्य अभी भी संतोषप्रद प्रगति किया जाना अपेक्षित है, जो कि प्राथमिक रूप से सिक्किम सरकार द्वारा भूमि स्थानांतरण की विलंबित प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है , जबकि क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि का भुगतान 3 वर्ष पूर्व किया जा चुका है ।

13.03.3महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करते हुए, जिन्हें हाल में विश्वविद्यालय में आयोजित की गई, संस्थापक उपकुलपति ने विश्वविद्यालय दल द्वारा महाविद्यालयों में भ्रमण, इसके विंटर सोजर्न कार्यक्रम , मौखिक इतिहास परियोजना, बसंत व्याख्यान, पुस्तक विचार-विमर्श कार्यक्रम, विदेशनीति व्याख्यान , प्लानर 2012 एवं चल रही नामांकन प्रक्रिया आदि के बारे में बताया । सिंहावलोकन में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का स्वयं को एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का सपना इच्छित स्तर तक अपूर्ण रहा है , जिसके कारण पूर्णतया उनके नियंत्रणाधीन नहीं थे ।

13.03.4सदस्यों ने विश्वविद्यालय के सर्वोतोमुखी प्रगति के प्रति किए गए सभी प्रयासों की प्रशंसा की तथा उपकुलपति को अपने कार्यकाल की छोटी अवधि में विश्वविद्यालय प्रणाली में लाए गए सर्वोत्तम कार्यअभ्यासों एवं नवीकरणीय विचारों के लिए बधाई दिया तथा विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय उनके नेतृत्व में सही दिशा में गतिमान है ।

13.03.5सदस्यों ने चिह्नित भूमि के अधिग्रहण में हुई अत्यधिक विलंब पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा माना कि अब तक किए गए सभी उत्तम कार्य निष्फल हो जाएंगे , जब तक कि यह एकल मुद्दा यथाशीघ्र नहीं निपटाया जाता है । सिक्किम विश्वविद्यालयहाल में गंगटोक स्थित19 किराए के भवनों से परिचालित हो रहा है, जिसकी किराए एवं रखरखाव के मद पर लोक निधि की वृहत राशि (लगभग दो करोड़ रुपया प्रतिवर्ष) की लागत है यद्यपि विश्वविद्यालय भूमि ग्रहण करने एवं अपना समय का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने का अतिइच्छुक है, जबकि सिक्किम सरकार का उदासीन एवं असंवेदनशील व्यवहार गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में आगे और विलंब

लागत वृद्धि का गंभीर मुद्दा भू-स्वामियों द्वारा बाद में खाली न करने की इच्छा, क्षतिपूर्ति में बढ़ोतरी की मांग, विश्वविद्यालय द्वारा अनुभव की जा रही वर्तमान कठिनाइयां, विश्वविद्यालय से कैंपस को ऐसे दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने में संभाव्य प्रतिरोध एवं भूमि मूल्यों में क्रमिक वृद्धि भयावह है । यद्यपि अधिकांश भूस्वामी सिक्किम विश्वविद्यालय आते रहते हैं तथा विश्वविद्यालय के विचार के प्रति अपना पूर्ण समर्थन भी व्यक्त करते हैं, परंतु वे यह उल्लेख करने में किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं कि सरकार भूमि खाली करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, जिसका कारण सिर्फ सरकार को ही पता है। भूमि की दूरस्थ एवं दुर्गम अवस्थित विश्वविद्यालय को आगे अवरुद्ध कर सकता है, यदि भूमि का स्थानांतरण समय से ना किया गया ।

13.03.6विगत में भी कई कार्यकारी परिषद की बैठकों के साथ ही शैक्षणिक परिषद की बैठकों में भी सिक्किम सरकार की सिक्किम विश्वविद्यालय को भूमि सौंपेपर जाने में उदासीन प्रवृत्ति पर गहरी एवं गंभीर चिंता व्यक्त की गई है । यह सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय को जारी किए गए चार पत्रों(अप्रैल एवं जून 2010 के बीच) की पृष्ठभूमि के विरुद्ध था , जो कि इन्हें भूमि ग्रहण करने के संबंध में था। यद्यपि जब विश्वविद्यालय दल अंतिम रूप से भूमि ग्रहण करने के लिए जून 2010 में यांग्यांग पहूंचा, यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी भूस्वामी ने भूमि खाली नहीं किया था , क्योंकि उन्हें भूमि खाली करने से संबंधित कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था । सातवीं कार्यकारी समिति की दिनांक 3 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक का प्रस्ताव नीचे दिया गया है । यह प्रस्ताव मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को अगली कार्रवाई हेतु दिनांक 27 दिसंबर 2010 को भेजा गया था:

“कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से भूमि अधिग्रहण में अब तक हुई प्रगति पर गहरा दुख एवं असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यकारी परिषद द्वारा गहरी चिंता के साथ यह भी नोट किया गया कि भूस्वामियों की क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिए जाने के बावजूद भी, भूमि खाली किए जाने की नोटिस जारी नहीं की गई है । इस विलंब से भारत सरकार को परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लागत एवं समय दोनों का अपव्यय होगा । यह अप्रत्यक्ष रूप से सिक्किम सरकार को भी गुणता उच्चतर शिक्षा की उपलब्धता से भी वंचित करता है, जिसके लिए विश्वविद्यालय कैंपस भूमि उपलब्ध करवाए जाने के बाद प्रदान करने को इच्छुक है । यह कहा गया था कि भूमि स्थानांतरण में विलंब के परिणामस्वरुप संकाय एवं छात्रों तथा कर्मचारियों के बीच गंगटोक में 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद यांग्यांगस्थानांतरित होने में आक्रोश पैदा होगा । सदन ने निर्णय लिया कि इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ तत्काल उठाया जाए ताकि सिक्किम सरकार के साथ इस मुद्दे को यथाशीघ्र समाधान खोजा जा सके ।

भारत सरकार के साथ यह भी स्पष्ट किया जाए कि मामला दिनोंदिन क्लिष्ट होता जा रहा है । सदन ने यह भी सुझाव दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विश्वविद्यालय द्वारा

विश्वविद्यालय के अन्यत्र स्थानांतरित करने सहित अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जाए, जो कि आवश्यक समझा जाए, यदि सिक्किम सरकार द्वारा अब से अगले तीन चार महीने के अंतर्गत सिक्किम विश्वविद्यालय को भूमि नहीं सौंपा जाता है ।

13.03.7उपरोक्त पृष्ठभूमि के विरुद्ध, मामले के विविध पहलुओं पर विलंबित विचार विमर्श करने के बाद, जैसा कि उपकुलपति द्वारा स्पष्ट किया गया सदन में निम्नलिखित प्रस्ताव अंगीकृत करने का निर्णय लिया :

<u>प्रस्ताव</u>

सिक्किम विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद यांग्यांग, दक्षिण सिक्किम जिले में स्थित कैंपस निर्माण हेतु चयनित भूमि के सिक्किम सरकार द्वारा मांगी गई क्षतिपूर्ति राशि के पूर्ण भुगतान के बावजूद गैर स्थानांतरण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता है । यह अनिवार्य आवश्यकता का अनुभव करता है कि मामले को विजिटर , भारत के महामहिम राष्ट्रपति के संज्ञान में इस अपील के साथ लाया जाए कि वे इस अवरोध को दूर करने में अपने कार्यालय से हस्तक्षेप करें ।

13.03.8उपरोक्त पृष्ठभूमि में उप कुलपति द्वारा यथा प्रतिपादित मामले के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, सदन ने निम्नानुसार एक प्रस्ताव अंगीकृत करने का निर्णय लिया:

<u>प्रस्ताव</u>

सिक्किम विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद यांग्यांग , दक्षिण सिक्किम जिला स्थित कैंपस निर्माण हेतु चिह्नित भूमि के सिक्किम सरकार द्वारा मांगे गए प्रतिपूर्ति धन की पूर्ण राशि के भुगतान किए जाने के बावजूद गैर स्थानांतरण पर गहरी चिंता व्यक्त करता है । यह अनिवार्य मानता है कि इस मामले को विजिटर भारत के महामहिम राष्ट्रपति की जानकारी में लाया जाए, साथ ही अपील की जाएगी कि वे इस अवरोध को दूर करने के लिए अपने कार्यालयी प्रभाव का उपयोग करें ।

13.03.8सदस्यों ने उपकुलपति से विजिटर को एक पत्र तत्काल प्रेषित करने का अनुरोध किया जिसमें घटनाओं का क्रमिक वर्णन किया गया हो, तत्पश्चात यदि आवश्यक हो तो माननीय विजिटर से कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा व्यक्ति का साक्षात्कार मांगा जाए, ताकि विषय की तात्कालिकता स्पष्ट की जा सके ।

13.03.9उपकुलपति ने कहा कि वे पत्र का शीघ्र ही मसौदातैयार करेंगे तथा इसे सदस्यों के बीच प्रेषण पूर्व उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए परिचालित करेंगे।

समूह ।- अनुमोदनार्थ मदें

ई सी : 13:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 16.03.2012 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

13.04.1 सचिव ने सदन को सूचित किया कि पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों को समाविष्ट करने के तुरंत पश्चात समय से परिचालित किया गया था। तत्पश्चात सदस्यों में कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली ।

ई सी : 13:05	द्वितीय कार्यकारी परिषद की दिनांक 22.02.2012 एवं 16.03.2012 को आयोजित क्रमश: पहली एवं दूसरी बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

13.05.1 द्वतीय कार्यकारी परिषद की दिनांक 22.02.2012 एवं 16.03.2012 को आयोजित क्रमश: पहली एवं दूसरी बैठक में चर्चा की गई मदों में से प्रत्येक पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की कई थी । सदन ने इसे अनुमोदन के साथ नोट किया ।

ई सी : 13:06	गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति

कार्यवृत्त

13.06.1 सचिव ने सूचित किया कि कार्यकारी परिषद द्वारा सृजन हेतु अनुमोदित गैर शिक्षण पदों की 17 श्रेणियों में से 14 के लिए चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है । चयन की सभी कार्यविधिक अनिवार्यताओं का पारदर्शी तरीके से बुद्धिमतापूर्ण अनुसरण किया गया है। सिक्किम सरकार के वर्तमान एवं पूर्व सचिवों तथा वरिष्ठ अधिकारियों सहित अपने संबंधित विषय क्षेत्र में कम से कम तीन बाह्य विशेषज्ञ अंतवार्ता बोर्ड में उपस्थित थे । उपकुलपति ने नियमानुसार प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की , जबकि रजिस्ट्रार ने सचिव के तौर पर कार्य किया ।

13.06.2 तत्पश्चात सचिव ने प्रत्येक बोर्ड की अनुशंसाओं को खोलने के लिए, जो कि मोहरबंद लिफाफे में रखी थी । सदन की अनुमति मांगी, ताकि इसे सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जा सके । अनुमति प्राप्त होने पर, अंतर्वार्ता के परिणाम निम्नानुसार पढ़ा गया ।

क्र.सं.	पद का नाम	अंतर्वार्ता की तारीख	पदों की संख्या	चयनित अभ्यर्थी	अभ्युक्तियां

1.	कार्यकारी इंजीनियर	18.03.2012	एक	-	**कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया**
2.	चिकित्सा अधिकारी	18.03.2012	एक	1. डा0 मंजु थापा मंगर	
3.	तकनीकी सहायक	20.03.2012	तीन	1. श्री जोसेफ 2. सूश्री राधा कुमारी बस्नेत 3. श्री दीपक छेत्री	
4.	प्रयोगशाला परिचारी	20.03.2012	आठ	1. श्री बिक्रम थापा 2. श्री तुलसी शर्मा 3. श्री दिनेश राई 4. सुश्री रेजिना राई 5. श्री केशव कुमार विष्णुके 6. श्री नर बहादुर सुब्बा 7. श्री विनोद छेत्री 8. श्री भानू मंगर	
5.	नर्स	21.03.2012	एक	1. सुश्री चुंग चुंग भुटिया	
6.	नर्सिंग परिचारी	21.03.2012	एक	-	**कोई उपयुक्त नहीं पाया गया**
7.	कार्यकारी सहायक	22.03.2012	दो	1. श्री निषाद सुब्बा	**ओ बी सी श्रेणी हेतु कोई भी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया ।**

13.06.3 सदन ने चयन बोर्ड की अनुशंसा का अनुमोदन किया तथा निर्देश दिया कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र शीघ्रतापूर्वक जारी किया जाए । सचिव ने आगे सदन को सूचित किया कि शेष सात पदों के लिए चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के अनुरोध पर लंबित रखा गया है (पत्र मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार के सचिव द्वारा जारी किया गया है), क्योंकि आंदोलनकर्ता के एक समूह को राष्ट्रीय राजमार्ग अवरूद्ध कर कानून व्यवस्था की स्थिति को गैर विधिक ढंग से विछिन्न करने के लिए उकसाया गया है । चूंकि अधिकांश विश्वविद्यालय भवन राजमार्ग पर ही अवस्थित हैं, और चूंकि राज्य प्रशासन किन्हीं उत्तेजित आंदोलनकारियों द्वारा इस गैर कानुनी राजमार्ग का अवरोध को प्रभावकारी ढंग से संभालने में असमर्थ था, विश्वविद्यालय चयन प्रक्रिया को रोकने के लिए बाध्य था ।

क्र.सं.	पद का नाम	अनुसूचित तारीख
	कनिष्ठ कार्यकारी (एल डी सी)	23 मार्च 2012
	सिस्टम एनालिस्ट	24 मार्च 2012
	प्रयोगशाला सहायक	25 मार्च 2012
	कार सपोर्ट	26 मार्च 2012

	सहायक कार्यकारी (यू डी सी)	27 मार्च 2012
	अर्ध व्यवसायिक सहायक	28 मार्च 2012
	सुरक्षा पर्यवेक्षक	28 मार्च 2012

13.06.4 सदस्यों ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को नोट किया तथा निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया को उचित समय पर पुन: आरंभ किया जाए ।

13.06.5 उपकुलपति एवं अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि उनका संस्थापक उपकुलपति का कार्यकाल 01 जुलाई 2012 को समाप्त हो रहा है, अत: उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मानक मापदंडो एवं उच्च भौतिक मानकों, दोनों के आधार पर किसी भी पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति (1 अप्रैल 2012 से आगे, अर्थात उनके कार्यकाल की समाप्ति के तीन माह पूर्व) नहीं करना चाहा । अत: यह उचित होगा कि शेष पदों के लिए चयन प्रक्रिया अगले उपकुलपति द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात किया जाए । उन्होंने आगे कहा कि वे संयुक्त सचिव , एम एच आर डी, नई दिल्ली को अपने इस निर्णय से अवगत करा चुके हैं । सदन चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया को तब तक के लिए विलंबित करने को सहमत हुआ, इनमें वे अभ्यर्थीगण भी शामील हैं, जिनके लिए लिखित जांच परीक्षा आयोजित की जा चुकी है । इस बीच उन रिक्त पदों पर की गई संविदा नियुक्तियों की निरंतरता बनी रहेगी, ताकि विश्वविद्यालय कार्य की सुगमता सुनिश्चित की जा सके।

ई सी : 13:07	वार्षिक लेखाएं 2011-12 पर विचार

कार्यवृत्त

13.07.1 सदस्यों को सूचित किया गया कि वर्ष 2011-12 हेतु वार्षिक लेखाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक पखवाड़ा के अंतर्गत तैयार कर लिया गया तथा इसे दिनांक 20 अप्रैल 2012 को आठवीं वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । यह उल्लेख किया गया कि एम एच आर डी द्वारा निर्धारित इन लेखाओं के प्रस्तुतीकरण आदि की अनुसूची यह सुनिश्चित करने के लिए समयपूर्व निर्धारित किया गया था कि लेखा परीक्षा एवं भारत के महालेखापरीक्षा नियंत्रक (सी ए जी))द्वारा प्रमाणन सहित संपूर्ण प्रक्रिया वर्तमान उपकुलपति द्वारा पदभार त्याग करने के पूर्व पूर्ण कर ली जाए ।

13.07.2 लेखाओं के विशिष्ट बिंदुओं को जिनमें विश्वविद्यालय की प्रगामी वृद्धि उल्लेखित थी, श्री तालुकदार, प्रबंधक (वित्त) द्वारा पावर प्वाइंट मोड पर प्रस्तुत किया गया ।

13.07.3 सदन ने उन प्रभावकारिता एवं व्यवसायिकता की प्रशंसा की , जिनके द्वारा वार्षिक लेखाएं कर्मचारियों की अत्यधिक कमी एवं वास्तविक कठिनाईयों के बावजूद तैयार एवं प्रस्तुत की गई थी । सदन ने विश्वविद्यालय के संपूर्णवित्त प्रबंधन दल (दक्षता लावर, डोमा तामंग, अरूण थापा एवं प्रज्ञा सत्पथी सहित) के उतसग्र की सराहना की, जिनका नेतृत्व श्री डी कानुनज्ञ, विशेष कार्यअधिकारी (पूर्व में वित्त अधिकारी पी वी रवि द्वारा नेतृत्व प्रदत्त) द्वारा किया गया था । सदन ने श्री सत्यम राणा एवं सुश्री प्रभा मुखिया द्वारा अतयधिक प्रभवाकारी ढंग से संचालित संभार तंत्र गतिविधियों की प्रशंसा भी की । तत्पश्चात सदन ने वार्षिक लेखाएं, 2011-12 का अनुमोदन किया तथा निर्देश दिया कि लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (ले.प.) सिक्किम द्वारा यथाशीघ्र करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

ई सी : 13:08	अनुदानों का उपयोग किया जाना

कार्यवृत्त

13.08.1 सदन को सूचित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा कई एवं गंभीर अवरोधों के बावजूद भी 11वीं योजना (2007-11) के दौरान प्राप्त अनुदानों के 94% का उपभोग प्रभावकारी ढंग से किया गया ।

13.08.2 सदन को आगे सूचित किया गया कि यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा भवन निर्माण सहित विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए पर्याप्त निधि आवंटित की गई, परंतु लगभग 30 करोड़ तक की राशि का अनुदान यू जी सी द्वारा 11वीं योजना अवधि के दौरान रोक लिया गया , क्योंकि सिक्किम सरकार द्वारा भूमि स्थानांतरण नहीं किया गया । यह सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 2007 में स्थापित, 11वीं वि0 वर्ष योजना 2007-12 के दौरान ₹ 115 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के विरूद्ध कुल मिलाकर ₹ 89.58 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया गया । इस आवंटन का मुख्य अव्यव (करीब 80%) कैंपस निर्माण एवं दूरगामी प्रभाव वाले विशिष्ट शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को स्थापित करने के लिए ढांचागत सुविधाओं के समर्थन को अभिप्रेत था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थापक उपकुलपति को आश्वस्त किया गया था कि 11वीं याजना प्रस्तावों के कार्यान्वयन के दौरान पूर्व में आवंटित अनुदान खर्च हो जाने की स्थिति में समान अनुदान आवंटित किया जा सकता है ।

13.08.3 सदन ने निधियों के उपभोग के प्रगति को अनुमोदन के साथ नोट किया ।

ई सी : 13:09	12वीं योजना (2012-17) के अंतर्गत अनुदान हेतु प्रस्ताव।

13.09.1 सिक्किम विश्वविद्यालय के लिए 12वीं योजना के दौरान निधियों के विनिधान की आवश्यकता, जो कि यूजीसी द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार किया गया था, सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई । संस्थापक उपकुलपति द्वारा सदन को सूचित किया गया कि यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी यात्रा के 58 महीने पूर्ण किए गए, फिर भी यह वास्तविक ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से उतना परिपक्व नहीं हो सका है, जितना की उसे होना चाहिए था, क्योंकि यह कैंपस निर्माण कार्य आरंभ नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप चिह्नित स्थल पर कैंपस विकसित किए जाने की अनिवार्यता एवं अपने शैक्षणिक तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जरूरत 12वीं योजना आवश्यकता के केंद्र बिंदु थे ।

13.09.2 ड्राफ्ट 12वीं योजना दस्तावेज के मुख्य बिंदुओं को डा0 ओम प्रसाद गाड़े, सहायक प्रोफेसर एवं 12वीं योजना कागजातों के निर्माण हेतु उत्तरदायी दल का समन्वयक द्वारा प्रस्तुत किया गया । सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों, दूस्थ अवस्थान पर कैंपस का निर्माण, साथ ही विश्वविद्यालय की परियोजित सामाजिक एवं सामुदायिक पहूंच के संबंध में कई प्रेक्षण किए गए । संस्थापक उपकुलपति नवीकरणीय कार्यक्रमों के प्रकल्पन में देश एवं विदेश के सर्वोत्तम संसाधनों के एक समूह का उपयोग किया है, जिसमें वैश्विक स्वीकार्यता एवं स्थानीय लोकाचारों का समावेश है । कैंपस निर्माण हेतु विश्वविद्यालय के पास यांग्यांग स्थित कैंपस विकास बोर्ड (बी सी डी वाई) का एक शक्तिशाली दल मौजूद है तथा यह अन्य व्यवसायिक परामर्शदाताओं की सेवा भी लेगा, जो कि विशेषज्ञता के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित हैं । विश्वविद्यालय की बाह्य पहूंच कार्यक्रम, जिसमें एक केंद्रीय विद्यालय , सी जी एच एस अस्पताल, सामुदायिक रेडियो, रेलवे टिकट काउंटर, स्पोटर्स सुविधाए, चतुर्थ वर्गीय एवं अन्य सेवाओं की आउटसोर्सिंग, जैव विविधिता पार्क आदि सम्मिलित हैं, इस प्रकार अभिमुखित किए गए हैं कि विश्वविद्यालय समुदाय अंर्तसंबंध विकसित हो, ताकि इस क्षेत्र में अंतर्वेशित वृद्धि एवं बौद्धिक विकास की अभिवृद्धि हो सके ।

13.09.3 सदस्यों ने 12वीं योजना की आवश्यकता पर प्रक्षेपणों की सराहना की । यद्यपि, सदस्यों ने कैंपस निर्माण में हो रहे विलंब पर अपनी चिंता को दुहराया । सदस्यों द्वारा यह अनुभूति की कई कि अनुमानों पर प्रक्षेपित आवश्यकताएं कि भूमि शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएगी एवं तत्पश्चात कैंपस निर्माण कार्य तत्काल आंरभ होगा, प्रत्याशित नहीं भी हो सकती हैं । इस कारण विश्वविद्यालय अपनी चल रही गतिविधियों के बावजूद गंभीर समस्या में पड़ सकता है । तद्नुसार सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को गंगटोक या इसके आस पास लीज धारित एक छोटे भूखंड पर पर्याप्त अस्थायी ट्रान्जिट कैंपस (टी टी सी) निर्माण करने की एक आकस्मिक योजना भी तैयार करना चाहिए तथा इसे मुख्य प्रस्ताव के साथ यूजी सी को प्रस्तुत करना चाहिए । सदन ने इस पर भी विचार विमर्श किया कि कुछ नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा किस प्रकार पूर्व में ऐसी आकस्मिक योजना तैयार की गई है तथा ट्रान्जिट ईंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, ताकि छात्र

संकाय एवं कार्मिक सदस्यगण एवं अधिकांशत: नागरिकों को असुविधा में न डाला जाए । इससे विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में खर्च किए जा रहे विशाल किराया राशि से भी बचा जा सकता है ।

13.09.4 विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, सदन ने विश्वविद्यालय को 12वीं योजना अवधि के दौरान आकस्मिक योजना के इस समानांतर प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार के विचारार्थ सम्मिलित करने का निर्देश दिया ।

ई सी : 13:10	सिक्किम विश्वविद्यालय के अगले कुलपति की नियुक्ति हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा पैनल का गठन

13.10.1 सदन को सूचित किया गया कि वर्तमान कुलपति प्रो.एम एस स्वामीनाथन का कार्यकाल दिनांक 01.07.2012 को पूरा हो रहा है तथा यह कार्यकारी परिषद के लिए अनिवार्य है कि अगले कुलपति के रूप में नियुक्ति हेतु चयन करने के लिए विजिटर के समक्ष तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा की जाए । सावधानीपूर्वक विचार एवं विस्तृत चर्चा करने के पश्चात सदन ने तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति प्रकट किया तथा विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि सदन की अनुशंसा को इन व्यक्तियों के जीवन वृत्त के साथ साथ एम एच आर डी के प्रति विजिटर के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए ।

[इन व्यक्तियों में प्रो0 मुचकुंद दुबे, प्रो0 कपिला वात्सयायन एवं न्यायधीश (श्रीमती) रूमा पाल हैं]

समुह II संपुष्टि हेतु मदें

ई सी : 13:11	विशेष कार्य अधिकारी (वित्त एवं प्रबंधन) की नियुक्ति

कार्यवृत्त

13.11.1 सदन ने श्री दिवाकर कानुनज्ञ की विशेष कार्य अधिकारी (वित्त एवं प्रबंधन) के रूप में संविदाजन्य अनुबंध के मानक शर्तों पर की गई नियुक्ति की संपुष्टि की ।

ई सी : 13:12	शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारी (संविदा आधार पर) की गई नियुक्ति / पदत्याग

कार्यवृत्त

13.12.1 सदन ने कार्यसूची मद में यथावर्णित शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारी (संवदी आधार पर) की नियुक्ति एवं पदत्याग को नोट किया एवं संपुष्टि की ।

ई सी : 13:13	प्रबंधकीय कर्मचारी (संवीदाजन्य, नियमित एवं कार्यकालिक आधार पर) की नियुक्ति/पदत्याग

कार्यवृत्त

13.13.1 सदन ने कार्यसूची मद में यथावर्णित प्रबंधकीय कर्मचारी (संविदाजन्य, नियमित एवं कार्यकालिक आधार पर) नियुक्ति एवं पदत्याग को नोट किया एवं इसकी संपुष्टि की ।

ई सी : 13:14	इन्फ्लीबनेट केंद्र, अहमदाबाद के साथ शोधगंगा पर एम ओ यू

कार्यवृत्त

13.14.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय का इन्फलीबनेट केंद्र, अहमदाबाद के साथ शोधगंगा नामक एक रूचीकर एवं दूरगामी परियोजना हेतु एम ओ यू में प्रवेश करने की संपुष्टि की ।

ई सी : 13:15	भारतीय राष्ट्रीय आर्किव्ज, नई दिल्ली के साथ सहकारिता का ज्ञापन

कार्यवृत्त

13.15.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आर्किव्ज, नई दिल्ली के साथ सहकारिता ज्ञापन में प्रवेश की संपुष्टि की ।

ई सी : 13:16	क्रायोस्फेयर एवं जलवायु परिवर्तन पर अंतर-विश्वविद्यालय परिसंघ पर सहकारिता ज्ञापन

कार्यवृत्त

13.16.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा क्रायोस्फेयर एवं जलवायु परिवर्तन पर अंतर-विश्वविद्यालय परिसंघ पर सहकारिता ज्ञापन में प्रवेश की संपुष्टि की ।

समुह III सूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें

ई सी : 13:17	नियमित शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की कार्यभार ग्रहण स्थिति

कार्यवृत्त

13.17.1 प्रस्तुत विवरणों का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन के साथ नोट किया गया।

ई सी : 13:18	भवनों को किराए पर लेने की स्थिति

कार्यवृत्त

13.18.1 सदस्यों ने भवनों के किराए पर निधियों की पर्याप्त खर्च पर चिंता व्यक्त किया, जिसपर विश्वविद्यालय का कोई अन्य विकल्प नहीं था। सदन को सूचित किया गया कि किराए का निर्धारण सीपीडब्ल्यूडी विशेषज्ञों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण के बाद किया जाता है तथा सामान्य बाजार दरों की तुलना में यह उचित है ।

ई सी : 13:19	स्वीकृत संख्याबल एवं पदस्थापित कर्मचारियों की स्थिति

कार्यवृत्त

13.19.1 सदन ने विश्वविद्यालय की श्रम-शक्ति की स्थिति में संबंधित मामले को नोट किया।

ई सी : 13:20	प्लानर 2012

कार्यवृत्त

13.20.1 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा प्लानर 2012 के सफल आयोजन में किए गए प्रयासों की सराहना की । तद्द्वारा सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी : 13:21	तृतीय वसंत व्याख्यान एवं पुस्तक विमर्श कार्यक्रम 2012

कार्यवृत्त

13.21.1 सदन ने विश्वविद्यालय के प्रो0 मुशीरूल हसन, महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय आर्किव्ज द्वारा दिए गए तृतीय वसंत व्याख्यान एवं पुस्तक विमर्श कार्यक्रम, 2012 के सफलतापूर्वक आयोजन में किए गए प्रयासों की सरहाना की । तद्द्वारा सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा अपने सूचनार्थ इसे नोट किया।

ई सी : 13:22	द्वितीय विदेश नीति व्याख्यान एवं विंटर सोजर्न 2011-12 का प्रस्तुतीकरण: एक रिपोर्ट

कार्यवृत्त

13.22.1 सदन ने विश्वविद्यालय के राजदुत कंवल सिब्बल, पूर्व भारतीय विदेश सचिव द्वारा दिए गए द्वितीय विदेश नीति व्याख्यान एवं विंटर सोजर्न 2011-12 के सफलतापूर्वक आयोजन में किए गए प्रयासों की सराहना की । तद्द्वारा सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे अपने सूचनार्थ नोट किया।

ई सी : 13:23	सिक्किम विश्वविद्यालय वेबसाइट रिवैंपिंग: एक रिपोर्ट

कार्यवृत्त

13.23.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे अपने विचारार्थ नोट किया ।

ई सी : 13:24	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त

13.24.1 कोई अन्य मद नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों का उनके मूल्यवान सुझावों एवं इस अनुभवहीन विश्वविद्यालय के प्रति समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त होने की घोषणा की ।

ह0
(श्रीडी कानुनज्ञ)
विशेष कार्य अधिकारी
(वित्त एवं प्रबंधन)